न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—श्री सुबोध सिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—65/2018 (2018/00159) वादपत्र

अनवान

1. बगतावर पिता रामा गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. कैलाश पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मुन्नादेवी पत्नि हीरालाल ब्राहम्ण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. प्रतापदेवी पत्नि बंशीलाल ब्राहम्ण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. सुनील बापना — अधिवक्ता वादी
2. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक 08.02.2024

प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर की सरहद में खाता संख्या 309 में वर्णित आराजी संख्या 884 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 885 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 886 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 888 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 889 रकबा 0.21 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 0. 87 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस पेश की है। वाद पत्र की कलम नं0 1 में अंकित आराजियात मैं वादी का 1/8 हिस्सा निहित है उसी अनुसार वक्त खरीद से अपने हिस्से पर काबिज है। वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगणो के सामलाती रूप से दर्ज होने से तथा हिस्सा अलग से निर्धारित नही होने से वादी के अपने हक व हिस्से को विकास आदि कर कृषि उपयोग उपभोग हेतु भूमि सुधार करने में तथा लगान जमा कराने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की विभाजन की डिक्री सादिर फरमाई जाए कि वादपत्र की कलम नम्बर 1 मै अकिंत आराजियात में वादी के 1/8 हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन करवा स्वतन्त्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खुलवाना चाहता है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 29.08.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 4 फौरमल पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने अपने जबाव में अकंन किया कि वादपत्र की कलम संख्या 1 तो स्वीकार है परन्तु वादी का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नही है और वादी ने कभी भी वादग्रस्त भूमि के विभाजन बाबत्नही कहा है एवं मजीद कथन के रूप में कहा कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कोई कब्जा नही है न ही वादी उक्त भूमि पर काश्त करता है सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादीगण का ही कब्जा है जिससे वादी का वाद खारीज फरमाया जाए।

प्रकरण में उभयपक्ष को सुनते हुए इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2020 को वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर की सरहद में खाता संख्या 309 में वर्णित आराजी संख्या 884 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 885 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 886 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 888 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 889 रकबा 0.21 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.87 है0 भूमि में वादी का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 3 का संयुक्त रूप से 3/4 हिस्से का मौके एवं कब्जे को मध्यनजर रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन करवा रेवेन्यु रेकार्ड मे खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

उक्त प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 16.05.2022 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कलालखेड़ी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 886/2 रकबा 0.11 है0 भूमि बख्तावर पिता रामा गुर्जर सा. थोरियाखेड़ा खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 886/1 रकबा 0.10 है0, भूमि कैलाशचन्द्र पिता मांगीलाल ब्राहम्ण सा. थोरियाखेड़ा खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 884 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 885 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 888 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 889 रकबा 0.21 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.66 है0 भूमि प्रतापीदेवी पत्नि बंशीलाल 1/2, मुन्नादेवी पत्नि हीरालाल 1/2 ब्राहम्ण सा. थोरियाखेड़ा खातेदार के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबोध सिंह चारण)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुबोध सिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–65 / 2018 (2018 / 00159) वादपत्र

अनवान

1. बगतावर पिता रामा गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. कैलाश पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मुन्नादेवी पत्नि हीरालाल ब्राहम्ण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. प्रतापदेवी पत्नि बंशीलाल ब्राहम्ण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कलालखेड़ी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 886 / 2 रकबा 0.11 है0 भूमि बख्तावर पिता रामा गुर्जर सा. थोरियाखेड़ा खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 886 / 1 रकबा 0.10 है0, भूमि कैलाशचन्द्र पिता मांगीलाल ब्राहम्ण सा. थोरियाखेड़ा खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 884 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 885 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 888 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 889 रकबा 0.21 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.66 है0 भूमि प्रतापीदेवी पत्नि बंशीलाल 1 / 2, मुन्नादेवी पत्नि हीरालाल 1 / 2 ब्राहम्ण सा. थोरियाखेड़ा खातेदार के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 08.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से से जारी की गई।

(सुबोध सिंह चारण)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा